Chapter - 6

Loan Recovery

Question of recovery arises when borrowers default in repayment of loans as per schedule. Deposit received from the public is the prime source of funds for lending. If the loans are not recovered in time there may be a situation when banks will not be able to honour depositors withdrawal requests which may lead to bank failure.

Therefore it is quite important for the banks to have a appropriate recovery of loans policy in place. The recovery policy will contain clearly defined both the below mentioned ways as and when needed.

1. **Through a non-judicial route**
2. **Through judicial processes**

One of the main criteria that determines a loan recovery process is the reason for loan default.

Let us understand the same with examples.

वसूली का प्रश्न तब उठता है जब उधारकर्ता निर्धारित समय के अनुसार ऋण चुकाने में चूक करते हैं। जनता से प्राप्त जमा राशि ऋण देने के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। यदि समय पर ऋण की वसूली नहीं की गई तो ऐसी स्थिति हो सकती है जब बैंक जमाकर्ताओं के निकासी अनुरोधों का सम्मान नहीं कर पाएंगे जिससे बैंक विफल हो सकता है।

इसलिए बैंकों के लिए उचित ऋण वसूली नीति लागू करना काफी महत्वपूर्ण है। पुनर्प्राप्ति नीति में आवश्यकता पड़ने पर नीचे दिए गए दोनों तरीकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

1. **गैर - न्यायिक मार्ग से**
2. **न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से**

ऋण वसूली प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले मुख्य मानदंडों में से एक ऋण डिफ़ॉल्ट का कारण है।

आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं।

Case 1:
Imagine a situation where a borrower, Mr. Onesti Lal is financially responsible (due loan) with a good credit score. But due to unexpected circumstances (for eg. the COVID-19 pandemic), he has lost his job and is unable to repay the loan.

In this situation, the lending institution (Bank \ NBFC \ MFI) may offer him one of the following options –

a) Extension of repayment tenure which reduces the EMI amount

b) A moratorium wherein he will not have to pay the EMI for a few months

c) Accept a 'haircut' wherein the lender waives a certain amount of loan if the borrower is in no position to repay the loan in the near future as well

Note: It is to be noted that opting for a moratorium or even a 'haircut' may have a detrimental effect on Mr. Onesti's credit score. Repaying the loan amount in full even if the tenure is extended is the best possible option.

मामला एक:

ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहाँ एक उधारकर्ता, श्री ओनेस्टी लाल अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ वित्तीय रूप से जिम्मेदार (बकाया ऋण) है। लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों (उदाहरण के लिए COVID-19 महामारी) के कारण, उसने अपनी नौकरी खो दी है और ऋण चुकाने में असमर्थ है।

इस स्थिति में, ऋण देने वाली संस्था (बैंक \ एनबीएफसी \ एमएफआई) उसे निम्नलिखित विकल्पों में से एक की पेशकश कर सकती है -

a) पुनर्भुगतान अवधि का विस्तार जिससे ईएमआई राशि कम हो जाती है

b) एक अधिस्थगन जिसमें उसे कुछ महीनों के लिए ईएमआई का भुगतान नहीं करना होगा

c) एक 'हेयरकट' स्वीकार करें जिसमें ऋणदाता ऋण की एक निश्चित राशि माफ कर देता है यदि उधारकर्ता निकट भविष्य में भी ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है

ध्यान दें: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थगन या 'हेयरकट' का विकल्प चुनने से श्री ओनेस्टी के क्रेडिट स्कोर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अवधि बढ़ने पर भी ऋण की पूरी राशि चुकाना सर्वोत्तम संभव विकल्प है।

Case 2:

A borrower Mr. Andheri Lal has a low credit score but has availed a loan even when he is unsure about his repayment capacity. Due to this, although he has received a loan, the interest rate is high and repayment term is short.

He also may not be offered a moratorium or 'haircut'.

If this was a secured loan, the lender may also choose to sell the asset given as collateral to recover the loan amount if Mr. Andheri Lal defaults. However, Mr. Andheri Lal has the right to receive any excess amount made through the sale after the loan amount has been repaid.

If neither of these options works, the lender may opt to send loan recovery agents.

मामला 2:

एक उधारकर्ता श्री अंधेरी लाल का क्रेडिट स्कोर कम है, लेकिन उन्होंने अपनी पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में अनिश्चित होने पर भी ऋण लिया है। इसके कारण, हालांकि उन्हें ऋण मिला है, ब्याज दर अधिक है और पुनर्भुगतान अवधि कम है।

उसे मोरेटोरियम या 'हेयरकट' की पेशकश भी नहीं की जा सकती है।

यदि यह एक सुरक्षित ऋण था, तो ऋणदाता श्री अंधेरी लाल के चूक करने पर ऋण राशि की वसूली के लिए संपार्श्विक के रूप में दी गई संपत्ति को बेचने का विकल्प भी चुन सकता है। हालाँकि, श्री अंधेरी लाल को ऋण राशि चुकाने के बाद बिक्री के माध्यम से प्राप्त किसी भी अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने का अधिकार है।

यदि इनमें से कोई भी विकल्प काम नहीं करता है, तो ऋणदाता ऋण वसूली एजेंटों को भेजने का विकल्प चुन सकता है।

RBI Guidelines for Loan Recovery Agents:

Loan recovery agents are legally bound by certain guidelines and cannot harass the borrowers in any way. These include –

(i) Banks must have a diligence process in place when it comes to engaging loan recovery agents and are responsible for all complaints filed against them.

(ii) Borrowers must be notified first regarding the details of the recovery agency

(iii) The agent must also carry the authorization letter and copy of the bank's notice when meeting the defaulter.

(iv) In case a complaint has been lodged by the borrower, banks are not allowed to forward the respective case to a recovery agency until the said complaint has been solved/disposed of.

(v) However, this is nullified if the bank is convinced with proof that the complaints are frivolous.

(vi) The bank must also ensure that borrowers' grievances regarding the recovery process are addressed appropriately.

ऋण वसूली एजेंटों के लिए आरबीआई दिशानिर्देश:

ऋण वसूली एजेंट कानूनी रूप से कुछ दिशानिर्देशों से बंधे होते हैं और उधारकर्ताओं को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। इसमे शामिल है -

(i) जब ऋण वसूली एजेंटों को नियुक्त करने की बात आती है तो बैंकों के पास एक परिश्रम प्रक्रिया होनी चाहिए और उनके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

(ii) वसूली एजेंसी के विवरण के बारे में उधारकर्ताओं को पहले सूचित किया जाना चाहिए

(iii) डिफॉल्टर से मिलते समय एजेंट को प्राधिकरण पत्र और बैंक के नोटिस की प्रति भी रखनी होगी।

(iv) यदि उधारकर्ता द्वारा कोई शिकायत दर्ज की गई है, तो बैंकों को संबंधित मामले को वसूली एजेंसी को अग्रेषित करने की अनुमति नहीं है जब तक कि उक्त शिकायत का समाधान/निपटान नहीं हो जाता।

(v) हालाँकि, यदि बैंक सबूत के साथ आश्वस्त हो जाता है कि शिकायतें तुच्छ हैं तो इसे रद्द कर दिया जाता है।

(vi) बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली प्रक्रिया के संबंध में उधारकर्ताओं की शिकायतों का उचित समाधान किया जाए।

Is defaulting on a loan a criminal case?
Will loan defaulters have to go to jail?

The answer to this is generally NO, except in certain circumstances.

Loan defaulting by itself is not a crime and defaulters cannot be arrested.

But

If a defaulter has not repaid a loan despite being liable for the same, the lender can file a case in civil court against the borrower.

However, if the borrower is deemed to be a wilful defaulter by –

- Either not paying despite being able to
- Or diverting the loan or funds for reasons other than those provided while availing the loan
- Or even disposal or transfer of collateral without the lender's knowledge

Then

a criminal case can be filed against the defaulter which may lead to arrest and a trial in a criminal court.

क्या ऋण न चुकाना एक आपराधिक मामला है?

क्या लोन डिफॉल्टर्स को जेल जाना पड़ेगा?

कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, इसका उत्तर आम तौर पर नहीं है।

लोन डिफॉल्ट करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है और डिफॉल्टरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

लेकिन

यदि किसी डिफॉल्टर ने उत्तरदायी होने के बावजूद ऋण नहीं चुकाया है, तो ऋणदाता उधारकर्ता के खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला दायर कर सकता है।

हालाँकि, यदि उधारकर्ता को जानबूझकर चूककर्ता माना जाता है -

· या तो सक्षम होते हुए भी भुगतान न करना

· या ऋण लेते समय दिए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से ऋण या धनराशि का उपयोग करना

· या यहाँ तक कि ऋणदाता की जानकारी के बिना संपार्श्विक का निपटान या हस्तांतरण भी

तब

डिफॉल्टर के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया जा सकता है जिससे गिरफ्तारी हो सकती है और आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।

Borrower's Rights:

Lenders have to legally follow certain processes if they wish to initiate a loan recovery process against the borrower.

In case collateral has been provided, the asset(s) can be repossessed by the lender under the SARFAESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests) Act.

However, the rights of every loan defaulter must be upheld. These are –

- Right to Notice : First Notice, Regd Notice, Legal Notice, Recall Notice
- Right to Fair Value : Banks must follow proper auction process
- Right to be Heard: Clarification \ explanation from the borrower must be heard.
- Right to Claim the Balance: Excess of realisation of value of securities must be refunded.
- Right to be Treated Politely: No abusive language \ threat etc.

उधारकर्ता के अधिकार:

यदि ऋणदाता उधारकर्ता के खिलाफ ऋण वसूली प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

यदि संपार्श्विक प्रदान किया गया है, तो संपत्ति को SARFAESI (वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों का प्रवर्तन) अधिनियम के तहत ऋणदाता द्वारा वापस लिया जा सकता है।

हालाँकि, प्रत्येक ऋण चूककर्ता के अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए। ये हैं -

- **नोटिस का अधिकार:** प्रथम नोटिस, पंजीकृत नोटिस, कानूनी नोटिस, रिकॉल नोटिस
- **उचित मूल्य का अधिकार:** बैंकों को उचित नीलामी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए
- **सुने जाने का अधिकार:** उधारकर्ता का स्पष्टीकरण अवश्य सुना जाना चाहिए।
- **शेष राशि का दावा करने का अधिकार:** प्रतिभूतियों के मूल्य की अतिरिक्त वसूली वापस की जानी चाहिए।
- **विनम्रता से व्यवहार करने का अधिकार:** कोई अपमानजनक भाषा/धमकी आदि नहीं।

Conclusion:

Banks and other lenders can generally predict when a borrower is on the verge of defaulting based on their financial behavior as well as a credit score.

The process followed by each lender will vary but generally, it involves trying to change certain conditions to help the borrower repay the loan such as increasing repayment terms. Banks and other lenders have proper loan recovery \ collection policy in place duly approved by their board of directors.

If this does not work then assets may be seized in case of secured loans or loan recovery agents may be enlisted.

If neither of these works, the banks and other lenders may follow their write off the loan policy and can write off the dues as per approval process.

निष्कर्ष:

बैंक और अन्य ऋणदाता आम तौर पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई उधारकर्ता अपने वित्तीय व्यवहार के साथ-साथ क्रेडिट स्कोर के आधार पर डिफॉल्ट करने के कगार पर है।

प्रत्येक ऋणदाता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अलग-अलग होगी लेकिन आम तौर पर, इसमें उधारकर्ता को ऋण चुकाने में मदद करने के लिए कुछ शर्तों को बदलने की कोशिश करना शामिल है जैसे कि पुनर्भुगतान शर्तों को बढ़ाना। बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के पास उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उचित ऋण वसूली/संग्रहण नीति है।

यदि यह काम नहीं करता है तो सुरक्षित ऋण के मामले में संपत्ति जब्त की जा सकती है या ऋण वसूली एजेंटों को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

यदि इनमें से कोई भी काम नहीं करता है, तो बैंक और अन्य ऋणदाता ऋण को बट्टे खाते में डालने की अपनी नीति का पालन कर सकते हैं और अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार बकाया को बट्टे खाते में डाल सकते हैं।

Other Important aspects:

In case a guarantor – Guarantor is equally liable to repay the loan in case of default as per terms of the loan agreement. If the guarantor refuses to comply with the terms he/she will be treated as wilful defaulter and bank \ lender may take suitable legal action against the guarantor for recovery of dues. However the guarantor steps into the shoes of the creditor \ lender and had the right to sue the principal debtor / borrower for recovery of dues guarantor paid to the lender / Bank. This is known " Right of Subrogation u/s 140-141 of Indian Contract Act 1872.

In case of Death of the Borrower – In case of the unfortunate demise of the principal borrower, the loan agreement is generally transferred to the legal heirs or the co-applicant. Certain lenders also offer insurance policies against the same and can be explored by borrowers.

अन्य महत्वपूर्ण पहलू:

गारंटर के मामले में - ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार डिफ़ॉल्ट के मामले में गारंटर ऋण चुकाने के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। यदि गारंटर शर्तों का पालन करने से इनकार करता है तो उसे जानबूझकर चूककर्ता माना जाएगा और बैंक/ऋणदाता बकाया की वसूली के लिए गारंटर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हालाँकि, गारंटर लेनदार/ऋणदाता के स्थान पर कदम रखता है और उसे ऋणदाता/बैंक को भुगतान किए गए गारंटर के बकाया की वसूली के लिए मुख्य देनदार/उधारकर्ता पर मुकदमा करने का अधिकार है। इसे "भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 140-141 के तहत प्रस्थापन का अधिकार" के रूप में जाना जाता है।

उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में - मुख्य उधारकर्ता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, ऋण समझौता आम तौर पर कानूनी उत्तराधिकारियों या सह-आवेदक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ ऋणदाता इसके विरुद्ध बीमा पॉलिसियाँ भी प्रदान करते हैं और उधारकर्ताओं द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है।

Status of Loan Accounts and provisioning:

If there is regular repayment in the loan account as per terms of the loan agreement or regular operation in an operative loan account viz. overdraft \ cash credit covering due interest and other charges the account is treated as Regular Loan Account and also security created at the time of loan disbursement and or collateral security is intact, the loan is categorised as Standard Loan \ Asset.

There are various stages of irregular loans based on the periodicity. Lending institutions are required to comply with the Income Recognition and Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to advances as per Master Circular of RBI in this regard.

ऋण खातों की स्थिति और प्रावधान:

यदि ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार ऋण खाते में नियमित पुनर्भुगतान होता है या ऑपरेटिव ऋण खाते में नियमित संचालन होता है। ओवरड्राफ्ट \ नकद क्रेडिट जिसमें देय ब्याज और अन्य शुल्क शामिल हैं, खाते को नियमित ऋण खाते के रूप में माना जाता है और ऋण वितरण के समय बनाई गई सुरक्षा या संपार्श्विक सुरक्षा बरकरार है, ऋण को मानक ऋण \ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आवधिकता के आधार पर अनियमित ऋण के विभिन्न चरण होते हैं। ऋण देने वाले संस्थानों को इस संबंध में आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार अग्रिमों से संबंधित आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) का अनुपालन करना आवश्यक है।

Stages of Irregular (Out of Order) advances \ loans: (delinquency norm)

Loans other than in the nature of revolving facilities like cash credit/overdraft- Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue is categorised SMA (Special Mention Account) - in case of Overdraft \ Cash Credit Account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for a period of:

अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर) अग्रिमों/ऋणों के चरण: (अपराध मानदंड)

नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट-मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि के पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय होने पर परिक्रामी सुविधाओं की प्रकृति के अलावा अन्य ऋण को एसएमए (विशेष उल्लेख खाता) में वर्गीकृत किया जाता है - ओवरड्राफ्ट के मामले में कैश क्रेडिट खाते में बकाया राशि लगातार अधिक बनी रहती है स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, की अवधि के लिए:

Loans other than revolving facilities		Loans in the nature of revolving facilities like cash credit/overdraft	
SMA Sub-categories	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue	SMA Sub-categories	Basis for classification – Outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for a period of
SMA-0	Upto 30 days		
SMA-1	More than 30 days and upto 60 days	SMA-1	More than 30 days and upto 60 days
SMA-2	More than 60 days and upto 90 days	SMA-2	More than 60 days and upto 90 days
SMA – Special Mention Account			

Asset classification		Minimum provision
Standard assets		SME & Agri – 0.25% Commercial Residential – 0.75% Commercial – 1% Others – 0.40%
Sub-standard assets		15% (25% for unsecured portion)
Doubtful Assets	Secured	
	Up to 1 Year	25%
	1 – 3 Years	40%
	>3 Years	100%
	Unsecured	100%
Loss Asset		100%

Sub-Standard: All NPA accounts are sub-standard.

Doubtful: Where prime / collateral securities are deficient

Loss Asset: Prime / collateral securities disposed off \ borrower absconding \ death

अवमानक: सभी एनपीए खाते अवमानक हैं।

संदिग्ध: जहाँ प्रधान/संपार्श्विक प्रतिभूतियों की कमी है

हानि परिसंपत्ति: प्रधान/संपार्श्विक प्रतिभूतियों का निपटान \ उधारकर्ता का फरार होना \ मृत्यु

Limitation Act 1963

According to Section 2 (j) of the Limitation Act, 1963, the life of a loan document (DPN) is three years. Once the original Demand Promissory Note (DPN) is expired then the bank will not be able to enforce money suit to recover its due through Court of Law.

If the loan is secured by the mortgage of immovable property, the mortgage is valid for up to 12 years. However, a money suit is easier compared to the mortgage suit.

In order to keep the option of an easy way of recovery through money suit, this period of 3 years of DPN is saved from time to time by obtaining a Revival Letter (RL) under the signature of borrowers and guarantors. The Revival Letter (RL) so obtained from the borrower(s)/guarantor(s) extends the validity period of loan document for a further period of 3 years from the date of Acknowledgement of liability in terms of section 18 of Limitation Acts.

परिसीमा अधिनियम 1963

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 (जे) के अनुसार, एक ऋण दस्तावेज़ (DPN) का जीवन तीन वर्ष है। एक बार जब मूल डिमांड प्रॉमिसरी नोट (डीपीएन) समाप्त हो जाता है तो बैंक अदालत के माध्यम से अपना बकाया वसूलने के लिए मनी सूट लागू नहीं कर पाएगा।

यदि ऋण अचल संपत्ति के गिरवी द्वारा सुरक्षित किया गया है, तो गिरवी 12 वर्षों तक वैध है। हालाँकि, गिरवी सूट की तुलना में मनी सूट आसान है।

मनी सूट के माध्यम से वसूली के आसान तरीके का विकल्प रखने के लिए समय-समय पर उधारकर्ताओं और गारंटरों के हस्ताक्षर के तहत एक रिवाइवल लेटर (आरएल) प्राप्त करके डीपीएन की 3 साल की इस अवधि को बचाया जाता है। उधारकर्ता/गारंटर से प्राप्त पुनरुद्धार पत्र (आरएल) सीमा अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में दायित्व की स्वीकृति की तारीख से ऋण दस्तावेज़ की वैधता अवधि को 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा देता है।

किसी भी बैंक / वित्त संस्था की मजबूती के लिए ऋणों की वसूली समय पर होना अति आवश्यक है । ऋण वसूली हेतु संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को अपने-अपने स्तर पर दायित्व निभाना चाहिए । ऋण वसूली विभाग अपनी सुगठित ऋण वसूली प्रक्रिया के तहत ऋणों की वसूली सुनिश्चित करता हैं। ऋणों की वसूली का दायित्व ऋण विभाग का होना चाहिये क्योंकि ऋणी इस विभाग का चिरपरिचित होता है अत: ऋणी को समझना और समझना आसान होता है अतः वसूली सुगमता से की जा सकती है । हाँ उन खातों को जिनमे देय बकाया अवधिपार हो गई हो, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अतः विशिष्ट कर्मचारी / अधिकारी / ऋण वसूली एजेंसी को कार्य सौंपा जा सकता है।
सामान्यतः अवधिपार ऋणों का वर्गीकरण, अवधिपार राशि की अवधि के आधार पर किया जाता है जो निम्नानुसार है:
30 दिन से अधिक किन्तु 60 दिन से कम
60 दिन से अधिक किन्तु 90 दिन से कम
90 दिन से अधिक
जिन ऋण खातों मे मूलधन व ब्याज की किश्त का भुगतान निर्धरित तिथि से 1 से लेकर 30 दिन तक नहीं होता है तो early वार्निंग सिग्नल के तौर पर SMA-0 चिन्हित कर वसूली के विशेष प्रयास किए जाते है। ऋण वसूली टीम द्वारा ऋणियों से व्यक्तिगत संपर्क कर अवधिपार राशि वसूल करने का प्रयास किया जाता है।

SMA-0 ऋण खातों मे अवधिपार राशि वसूल नहीं होने पर खतरा बढ़ जाता है और

ये खाते SMA-1 और SMA-2 वर्गीकरण मे पहुँच जाते है । इस स्थिति मे अवधिपार राशि वसूल करने हेतु भरसक प्रयास करने होते हैं अन्यथा ऋण खाता NPA यानि गैर निष्पादित अस्ति मे वर्गीकृत करना होता है जहाँ RBI के निर्देशानुसार ऐसे ऋण खातों पर लगने वाली ब्याज की राशि को बैंक आय के रूप मे तो नहीं दिखा सकता है किन्तु अतिरिक्त प्रावधान करना होता है जिससे बैंक की लाभप्रदता पर विपरीत असर होता है।

बैंक अपनी ऋण वसूली नीति के अनुसार NPA वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही के साथ साथ उपलब्ध ऋण के विरूद्ध गिरवी रखी गई संपत्ति को कब्जे मे लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही करता है ताकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी बिक्री कर ऋण राशि का समायोजन किया जाता है। अगर फिर भी ऋण राशि का पूर्ण समायोजन नहीं होता है तो बैंक CIVIL SUIT \ CRIMINAL SUIT दायर कर ऋण वसूली के प्रयास किए जाते हैं।

Stressed \ Difficult केसेस मे वसूली के लिए सामान्यतया बैंक Debt Recovery Agency की सेवाएँ भी लेती हैं।

DRA or Debt Recovery एजेंट / एजेंसी difficult वसूली प्रकरणों की वसूली मे माहिर होते है। इन्हें विभिन्न कानूनी पहलुओं की अच्छी जानकारी होने के साथ-साथ ऋणियों पर प्रभाव डालने मे दक्षता प्राप्त होती है। ये विशेषतः जान बूझ कर चूक कर्ताओं से वसूली मे सक्षम होते हैं।

बैंक इन्हे वेतन भत्ते व कमिशन या कमिशन के आधार पर नियुक्त करते हैं।

NPA norms for Agriculture Finance:

As per the extant norms, advances granted for agricultural purposes are treated as NPA where interest and/or instalment of principal remain unpaid after it has become due for two harvest seasons but for a period not exceeding two half years.

A loan granted for long duration crops will be treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.

कृषि वित्त के लिए एनपीए मानदंड:

मौजूदा मानदंडों के अनुसार, कृषि उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिमों को एनपीए माना जाता है, जहाँ ब्याज और/या मूलधन की किस्त दो फसल सीज़न के लिए देय होने के बाद भी भुगतान नहीं की जाती है, लेकिन दो आधे साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं।

लंबी अवधि की फसलों के लिए दिए गए ऋण को एनपीए माना जाएगा, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए अतिदेय हो।

National Company Law Tribunal (NCLT)

The NCLT or "Tribunal" is a quasi-judicial authority created under the *Companies Act, 2013* to handle corporate civil disputes arising under the Act. It is an entity that has powers and procedures like those vested in a court of law or judge. NCLT is obliged to objectively determine facts, decide cases in accordance with the principles of natural justice and draw conclusions from them in the form of orders. Such orders can remedy a situation, correct a wrong or impose legal penalties/costs and may affect the legal rights, duties or privileges of the specific parties. The Tribunal is not bound by the strict judicial rules of evidence and procedure. It can decide cases by following the principles of natural justice.

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)

एनसीएलटी या "ट्रिब्यूनल" कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उत्पन्न होने वाले कॉर्पोरेट नागरिक विवादों को संभालने के लिए बनाया गया एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है। यह एक इकाई है जिसके पास कानून की अदालत या न्यायाधीश में निहित शक्तियों और प्रक्रियाओं की तरह शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। एनसीएलटी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से निर्धारित करने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार मामलों का फैसला करने और आदेशों के रूप में उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है। ऐसे आदेश किसी स्थिति का समाधान कर सकते हैं, ग़लती को सुधार सकते हैं या कानूनी दंड/लागत लगा सकते हैं और विशिष्ट पक्षों के कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों या विशेषाधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल साक्ष्य और प्रक्रिया के सख्त न्यायिक नियमों से बंधा नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए मामलों का निर्णय कर सकता है।

Debt Recovery Tribunal (DRT)

Debt Recovery Tribunals were established to facilitate the debt recovery involving banks and other financial institutions with their customers. DRTs were set up after the passing of Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act (RDBBFI), 1993. Appeals against orders passed by DRTs lie before Debts Recovery Appellate Tribunal (DRAT). DRTs can take cases from banks for disputed loans above Rs.10 Lakhs. At present, there are 33 DRTs and 5 DRATs functioning at various parts of the country. In 2014, the government has created six new DRTs to speed up loan related dispute settlement.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उनके ग्राहकों के साथ ऋण वसूली की सुविधा के लिए की गई थी। डीआरटी की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम (आरडीबीबीएफआई), 1993 के पारित होने के बाद की गई थी। डीआरटी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) के समक्ष की जाती है। डीआरटी 10 लाख रुपये से अधिक के विवादित ऋणों के मामले बैंकों से ले सकते हैं। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में 33 डीआरटी और 5 डीआरएटी कार्य कर रहे हैं। 2014 में, सरकार ने ऋण संबंधी विवाद निपटान में तेजी लाने के लिए छह नए डीआरटी बनाए हैं।

Difference between NCLT & DRT

NCLT is regulated by the Companies Act, **whereas** DRT is regulated by the SARFAESI Act and Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions.

Companies approach NCLT for winding up, strike off cases in case of default **whereas** Banks and Financial Institutions approach DRT for recovery procedure.

The liquidation that is Insolvency cases are dealt by NCLT.

Anyone can approach NCLT for recovery of money under IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) **while** DRT can only be approached by banks and financial institutions.

Minimum threshold limit for applying to NCLT under IBC is Rs. 1 Crore **while** minimum threshold limit for applying to DRT is Rs. 20 Lakh.

The mounting of NPAs in the Bank and the tardy recovery process of the dues is an important concern for the Banks. Lok Adalat is one of the forums which has been playing an important role in the settlement of disputes. Lok Adalat is a process of administering justice without resorting to courts. Its process is voluntary and works on the principle that both parties to the dispute are willing to sort out their disputes amicably. Through this mechanism, disputes can be settled in a simpler, quicker, and cost-effective way. It is for the Banks to make use of this forum and speed up the recovery of NPAs.

Lok Adalat is one of the alternative dispute redressal mechanisms, it is a forum where disputes/cases pending in the court of law or at the pre-litigation stage are settled/ compromised amicably. Lok Adalat has been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under the said Act, the award (decision) made by the Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal against such an award lies before any court of law.

एनसीएलटी और डीआरटी के बीच अंतर

एनसीएलटी को कंपनी अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि डीआरटी को सरफेसी अधिनियम तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली द्वारा विनियमित किया जाता है।

कंपनियाँ समापन के लिए एनसीएलटी से संपर्क करती हैं, डिफ़ॉल्ट के मामले में मामलों को रद्द कर देती हैं जबकि बैंक और वित्तीय संस्थान वसूली प्रक्रिया के लिए डीआरटी से संपर्क करते हैं।

परिसमापन यानी दिवालियापन के मामले एनसीएलटी द्वारा निपटाए जाते हैं।

IBC (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के तहत पैसे की वसूली के लिए कोई भी NCLT से संपर्क कर सकता है, जबकि DRT से केवल बैंक और वित्तीय संस्थान ही संपर्क कर सकते हैं।

आईबीसी के तहत एनसीएलटी में आवेदन करने की न्यूनतम सीमा रु. 1 करोड़ जबकि डीआरटी पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम सीमा सीमा रु. 20 लाख.

बैंक में एनपीए का बढ़ना और बकाया वसूली की धीमी प्रक्रिया बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जो विवादों के निपटारे में अहम भूमिका निभा रहा है। लोक अदालत, अदालतों का सहारा लिए बिना न्याय प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया स्वैच्छिक है और इस सिद्धांत पर काम करती है कि विवाद के दोनों पक्ष अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के इच्छुक हैं। इस तंत्र के माध्यम से विवादों को सरल, त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से निपटाया जा सकता है। यह बैंकों पर निर्भर है कि वे इस मंच का उपयोग करें और एनपीए की वसूली में तेजी लाएं।

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है जहाँ अदालत में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिया गया पुरस्कार (निर्णय) एक सिविल अदालत का डिक्री माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे पुरस्कार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती।

Salient features in Lok Adalat are as under:

i) No Court Fee is involved.

ii) Lok Adalat to settle banking disputes involving amount up to Rs. 20 lakh.

iii) It can take cognizance of any existing suit pending in Civil Court/DRT Court.

iv) If no settlement is arrived at, the parties can continue with Civil Court/DRT proceedings.

v) Decrees passed by it have legal status and are binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any Court against the Award.

vi) Settlement of cases through Lok Adalat will reduce the expenses and time in pursuing the cases before the Court/DRT which is a time-consuming affair.

लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) कोई न्यायालय शुल्क शामिल नहीं है।

ii) 20 लाख रुपये तक की राशि से जुड़े बैंकिंग विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत।

iii) यह सिविल कोर्ट/डीआरटी कोर्ट में लंबित किसी भी मौजूदा मुकदमे का संज्ञान ले सकता है।

iv) यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो पार्टियाँ सिविल कोर्ट/डीआरटी के साथ कार्यवाही जारी रह सकती हैं।

v) इसके द्वारा पारित आदेशों को कानूनी दर्जा प्राप्त है और ये सभी पक्षों पर बाध्यकारी हैं विवाद और पुरस्कार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी।

vi) लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से खर्च और समय में कमी आएगी न्यायालय/डीआरटी के समक्ष मामलों को आगे बढ़ाना, एक समय लेने वाला मामला है।

The Organisation of Lok Adalat

Every State Authority or District Authority or the Supreme Court Legal Services Committee or every High Court Legal Services Committee or, as the case may be, Taluk Legal Services Committee may organise Lok Adalat at such intervals and places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it thinks fit.

Every Lok Adalat organised for an area shall consist of such number of**;**

(a) Serving or retired judicial officers; and

(b) Other people, of the area as may be specified by the State Authority or the District Authority or the Supreme Court Legal Services Committee or the High Court Legal Services Committee, or as the case may be, the Taluk Legal Services Committee, organising such Lok Adalat.

लोक अदालत का आयोजन

1. प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवाएँ

2. समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो,

3. विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर लोक अदालत का आयोजन कर सकती है

4. ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह उचित समझे।

5. किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में इतनी संख्या में लोग शामिल होंगे;

   (a) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी; और

   (b) क्षेत्र के अन्य व्यक्ति, जैसा कि राज्य प्राधिकरण या जिले द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

6. प्राधिकरण या सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति या उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, या जैसा भी मामला हो, तालुक कानूनी सेवा समिति, ऐसे लोक अदालत का आयोजन करती है।

Establishment of Permanent Lok Adalat

The Central Authority or, as the case may be, every State Authority shall, by notification, establish Permanent Lok Adalat at such places and for exercising such jurisdiction in respect of one or more public utility services and for such areas as may be specified in the notification.

Cognisance Of Case By Lok Adalat

Both the parties to the suit may agree to refer their dispute to Lok-Adalat, or One of the parties there of makes an application to the Court/DRT for referring the case to the Lok Adalat for settlement, or The court is satisfied that the matter is an appropriate one to be taken cognizance of by the Lok-Adalat, the court shall refer the case to the Lok Adalat.
Where any case is referred to a Lok Adalat, it shall proceed to dispose of the case or matter and arrive at a compromise or settlement between the parties.

Disposal of The Case In Lok Adalat

Every Lok Adalat while determining any reference shall be guided by the principles of justice,

equity, fair play, and other legal principles. Where no award is made by the Lok Adalat on the ground that no compromise or settlement could be arrived at between the parties, the record of the case shall be returned by it to the court from which reference has been received, and advice the parties to seek remedy in Court. Where the record of the case is returned, such court shall proceed to deal with such case from the state which was reached before such reference.
Every award made by a Lok Adalat shall be deemed to be a decree of Civil Court or as the case may and shall be final and binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any Court against the award.

स्थाई लोक अदालत की स्थापना

जैसा भी मामला हो, केंद्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना करें। एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

लोक अदालत द्वारा मामले का संज्ञान

मुकदमे के दोनों पक्ष अपने विवाद को लोक-अदालत में भेजने के लिए सहमत हो सकते हैं, या उनमें से एक पक्ष मामले को संदर्भित करने के लिए न्यायालय/डीआरटी में आवेदन करता है निपटान के लिए लोक अदालत में, या अदालत इस बात से संतुष्ट है कि मामला संज्ञान लेने योग्य है लोक-अदालत, अदालत मामले को लोक अदालत में भेज देगी।

जहाँ किसी भी मामले को लोक अदालत में भेजा जाता है, वह मामले के निपटारे के लिए आगे बढ़ेगा, मामला सुलझाएं और पक्षों के बीच समझौता या समझौते पर पहुँचें। लोक अदालत में मामले का निपटारा किसी भी संदर्भ का निर्धारण करते समय प्रत्येक लोक अदालत को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा:
न्याय, समानता, निष्पक्ष खेल और अन्य कानूनी सिद्धाँत। जहाँ लोक द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता, अदालत इस आधार पर कि बीच में कोई समझौता या समझौता नहीं हो सका पक्ष, मामले का रिकॉर्ड उस अदालत को वापस कर देंगे जहाँ से संदर्भ प्राप्त हुआ है, और पक्षों को न्यायालय में उपाय खोजने की सलाह दें। जहाँ मामले का रिकॉर्ड वापस कर दिया जाता है, ऐसी अदालत ऐसे मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ेगी वह स्थिति जो इस तरह के संदर्भ से पहले पहुँच गई थी।

लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पुरस्कार सिविल न्यायालय या उसकी डिक्री के रूप में माना जाएगा मामला अंतिम हो सकता है और विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Powers of Lok Adalat

For determination of the dispute referred to it, the Lok Adalat shall have the following powers:

- to summon and enforce the attendance of any witness and examine him on oath.
- to discovery and production of documents.
- to receive evidence on affidavits.
- to requisition of public record or copy of the record.

लोक अदालत की शक्तियाँ

संदर्भित विवाद के निर्धारण के लिए लोक अदालत में निम्नलिखित शक्तियाँ हैं।

किसी भी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी जाँच करना।

दस्तावेज़ों की खोज और उत्पादन के लिए।

शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए।
सार्वजनिक रिकॉर्ड या रिकॉर्ड की प्रतिलिपि की माँग करना।

How to Organise Lok Adalat

For organising Lok Adalat respective banks can approach the district legal services authority. The authorities agree for organising Lok Adalat exclusively for the Banks and exclusively for a particular Bank also. Identify the area taking into consideration the conglomeration of the bank's branches.

लोक अदालत का आयोजन कैसे करें

लोक अदालत के आयोजन के लिए संबंधित बैंक, जिला कानूनी सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी विशेष रूप से बैंकों के लिए लोक अदालत आयोजित करने पर सहमत हैं तथा विशेष रूप से किसी विशेष बैंक के लिए भी लोक अदालत का आयोजन किया जा सकता है। बैंक की शाखाओं के समूह को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की पहचान करें।

Multiple Choice Questions:

1. What is one of the main criteria that determines a loan recovery process?

a) Repayment tenure b) Borrower's age

c) Reason for loan default d) Loan interest rate

2. According to RBI guidelines, what must banks do before engaging loan recovery agents?

a) Inform the borrower about the recovery agency

b) Carry out a diligence process

c) Notify the authorities

d) None of the above

3. In which act are the rights of loan defaulters upheld, including the right to notice and fair value?

a) Banking Regulation Act b) SARFAESI Act

c) Negotiable Instruments Act d) Income Tax Act

4. Under what circumstances can a criminal case be filed against a loan defaulter?

a) If they have not repaid the loan despite being able to

b) If they have diverted the loan for unauthorized purposes

c) If they have disposed of collateral without lender's knowledge

d) All of the above

5. What is the process called when a lender takes back the collateral provided by the borrower?

a) Loan recovery b) Asset seizure

c) Repossession d) Collateral liquidation

6. What is the prime source of funds for lending for banks?

a) Government grants b) Loans from other banks

c) Deposit received from the public d) Bonds and securities

7. What is the term used when a lender waives a certain amount of loan if the borrower is unable to repay it?

a) Haircut b) Moratorium c) Extension d) Repossession

8. What act governs the process of asset classification and provisioning for advances?

a) Companies Act b) RBI Act c) Income Tax Act d) SARFAESI Act

9. What is the status of a loan account where there is regular repayment as per terms of the agreement?

a) Regular Loan Account
b) Irregular Loan Account
c) Defaulted Loan Account
d) Suspended Loan Account

10. What are loan defaulters' rights regarding the auction process of collateral?

a) Right to Fair Value
b) Right to Auctioneer's Decision
c) Right to Price Negotiation
d) Right to Asset Control

Answer the following questions:

1. Explain the difference between non-judicial and judicial loan recovery processes.
2. Describe the RBI guidelines for engaging loan recovery agents.
3. What are the rights of loan defaulters in the loan recovery process?
4. Discuss the implications of loan defaulting during the COVID-19 pandemic on borrowers' credit scores.
5. Can a loan defaulter be arrested immediately upon defaulting on a loan? Explain.